राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प0 8(3)कार्मिक/क–2/2011 जयपुर, दिनांक 17-05-2011

**परिपत्र**

विषयः साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाये जाने पर बस–रेल किराये की राशि के पुनर्भरण के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं इत्यादि में विभिन्न पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान होता है। तदनुसार अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं संबंधित विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्धारित साक्षात्कार स्थल पर अपने स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होते है।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में जिन पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर प्रार्थी के निवास स्थान (पत्र व्यवहार का पता) से साक्षात्कार स्थल तक आने–जाने हेतु लघुतम मार्ग का बस का साधारण किराया या रेल का द्वितीय श्रेणी के साधारण किराये के बराबर राशि, जिससे वास्तविक यात्रा की हो, का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

यदि अभ्यर्थी का निवास स्थान तथा पत्र व्यवहार का पता अलग–अलग है तो उसे पत्र व्यवहार के पते से किराये का पुनर्भरण देय होगा। यह सुविधा सभी वर्गो के बेरोजगार अभ्यर्थियों को देय होगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी अन्य राजकीय विभाग, निगम, बोर्ड में नवीन नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर, सभी वर्गो के बेरोजगार अभ्यर्थियों को, बस–रेल किराये की राशि के पुनर्भरण के प्रस्ताव के क्रम में राशि का भुगतान सा.वि.ले.नि. के भाग–I के नियम 74 के अनुसार स्थाई पेशगी से नकद किया जा सकता है। यदि किसी विशेष विभाग में भुगतान की राशि ज्यादा हो तो सा.वि.ले.नि. भाग–II के आईटम 26 (ii) के अनुसार राशि का अग्रिम आहरण कर भुगतान किया जा सकता है।

उक्त पुनर्भरण निम्न शर्तो के अध्यधीन देय होगा:–

1. किराये की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने से पूर्व अभ्यर्थी के बेरोजगार होने का घोषणा पत्र (Undertaking) साधारण कागज पर प्राप्त किया जावे।
2. यदि अभ्यर्थी निकटतम रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन तक पहुँचनें के लिये टैक्सी या अन्य साधन से यात्रा करता है, तो उसका किराया देय नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी को निवास स्थान से गंतव्य स्थान का रेल/बस का टिकिट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारण से टिकिट प्रस्तुत किया जाना संभव न हो तो सादे कागज पर यात्रा करने का लिखित में घोषणा पत्र (Undertaking) प्राप्त किया जावे।

यह आदेश जारी होनें की तिथि से प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101101311 दिनांक 15–05–2011 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते है।

17.5.11

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।
5. वित्त (व्यय-2) विभाग।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
8. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
9. राजकीय उपकम विभाग।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/बैन्च जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

17/2011